न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–291/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00234)

1. सीताराम पुत्र श्री दामोदर महाजन आयु 70 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी 85 ए जगदम्बा कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
2. किस्तूरचन्द पुत्र श्री दामोदर महाजन आयु 65 वर्ष, जाति महाजन मूल निवासी ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी 33–ए कृष्णा कॉलोनी आमेर रोड़, जयपुर।
   - 2/1. ललिता देवी पत्नी स्व. श्री किस्तूर चन्द जाति महाजन, निवासी 33–ए कृष्णा कॉलोनी आमेर रोड़, जयपुर।
   - 2/2. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री किस्तूर चन्द जाति महाजन, निवासी 33–ए कृष्णा कॉलोनी आमेर रोड़, जयपुर।
   - 2/3. केदार प्रसाद गुप्ता स्व. श्री किस्तूर चन्द जाति महाजन, निवासी 33–ए कृष्णा कॉलोनी आमेर रोड़, जयपुर।
   - 2/4. शिम्भूदयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री किस्तूर चन्द जाति महाजन, निवासी 33–ए कृष्णा कॉलोनी आमेर रोड़, जयपुर।
   - 2/5. मंजू लाबी पत्नी श्री राजेन्द्र लाबी पुत्री स्व. श्री किस्तूर चन्द जाति महाजन, निवासी शोरूम म्बर–6 गोविन्द नगर पूर्व, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी बनवारी लाल जाति खटीक, निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. बनवारी लाल पुत्र श्री हरिनारायण जाति खटीक निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. गोपाल लाल पुत्र श्री फूलचन्द जाति बलाई, निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. श्रीमती पुष्प कंवर पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत निवासी–7 उमराव कॉलोनी चावण्ड का मण्ड नाई की थडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर।
6. उप तहसीलदार उप तहसील आंधी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश नारायण शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः 03.01.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय जैर अपील एवं नामान्तरकरण संख्या 577 ग्राम रामजीपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर द्वारा पारित किया जाने में आज्ञापक कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा अपील दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी की अपील में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति हेतु रेस्पोडेन्ट का पाबन्द किया गया व उसके पश्चात् पत्रावली अधीनस्थ न्यायाल की मिसल तलबी व रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नियत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर प्राप्त नही हुई उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुऐ तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुऐ तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुऐ बिना ही बहस सुन कर पत्रावली आदेश हेतु नियत की व दिनांक 27.06.2018 को अपीलार्थीगण की अपील खारिज की गई। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत न होकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग मात्र है व न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 644/2 का रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण 644/1 खसरा संख्या की 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि हेतु खोला गया है जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्ववर्ती ग्राम के राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर 644/1 के ही नये नम्बर 644/2 644/3 व 644/4 जानबूझकर अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने हेतु व अपीलार्थीगण की जमीन हड़पने हेतु जो कि 644/1 के लगवार ही स्थित थी हेतु संठ–गांठ व फर्जकारी कर डाले गये ताकि अपीलार्थीगण की जमीन हड़पी जा सके जबकि 644/2 नम्बर का खसरा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 577 खोले जाने से पूर्व व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मिलीभगत कर आपसी रजामंदी से दिनांक 01.06.2015 को खुलवाये जाने से पूर्व ही अस्तित्व में था जिसकी जानकारी राजस्व रिकार्ड के संधारण अधिकारी पटवारी डांगरवाडा व तहसील को थी इसके उपरान्त भी जानबुझकर तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जो भारी कानूनी भूल है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकण अवैध होने से सरसरी तौर पर काबिजे खारिज है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के तस्दीक किये जाने से पूर्व न तो कोई कब्जे की जांच की न ही सम्बन्धित पक्षकारों को विधिवत सूचित कर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया इसलिये भी प्रश्नगत नामान्तरकरण आर्बीट्रेरी व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 577 रामजीपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील बिना किसी अधिकार के पेश की गई है जिसमें अपीलान्ट का कोई हित, हक अधिकार निहित नही है चूँकि नामान्तकरण संख्या 577 खसरा नम्बर 644/1 के खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किया गया के विरूद्ध जमाबन्दी में राजस्व नक्शें में इन्द्राज होने के बाद अपील पेश की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही प्रकार से खारिज किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 644/1 में ही बंटवारा का अंकन किया गया है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त भूमि का कन्वर्जन करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका कन्वर्जन उपरान्त बेचान का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम आ चुका है जिसमें अपीलान्ट का हक नही होने से विधि अनुसार प्रथम अपील खारिज की गई जिसमें किसी प्रकार से कोई कानूनी भूल नही की गई है इसलिये अपीलान्ट की द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपीलान्ट की प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम से खारिज होने के उपरान्त व द्वितीय अपील पेश होने के उपरान्त बंटवारे को भी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील में चैलेन्ज किया है जो जैरकार है जब तक सहमति से किये गये बंटवारे को अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष विचाराधीन अपील में निरस्त नही करवा लेते तब तक नामान्तरकरण संख्या 577 को निरस्त नही किया जा सकता चूँकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 577 विधिक बंटवारा की भूमियों में से खातेदारों ने नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 17.12.2015 को समर्पण पत्र अनुसार खसरा नम्बर 644/1 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 644/2/2 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. रास्ता में दर्ज की गई व नामान्तरकरण संख्या 608 व 609 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा भी खसरा नम्बर 644/3/1, 644/3/2, 644/4/1 को रास्ते में समर्पण किया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 577 को खारिज करने से नामान्तरकरण संख्या 607, 608, 609 पर प्रभाव पड़ता है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

और बंटवारा के पश्चात् रास्ते में समर्पण की गई भूमियॉ वापसी शामलाती नही रह जाती है इसी प्रकार उक्त भूमियों का कन्वर्जन भी किया जा चुका है जिसका नामान्तरकरण संख्या 630, 631, 632 दिनांक 27.10.2016 को तस्दीक किये गये है जिनके उपरान्त कन्वर्जन भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 633, 634, 635 दिनांक 06.01.2017 को तस्दीक किये गये है। उक्त नामान्तरकरणों के प्रभाव में रहते हुये नामान्तरकरण संख्या 577 को किसी भी प्रकार से चुनौती देने का अपीलान्ट को अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 577 की प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण आपसी सहमति से किये गये विभाजन के आधार पर भरा जाकर दिनांक 08.07.2015 को स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त सहमति से किये गये विभाजन को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।